

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :- 29/2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

सुखराम पाहन वो नेकेया पाहन वो उदय पाहन - विक्रेता

श्रीमती मेरी सोय मुरुम

- क्रेता

①

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
10.08.18	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. सुखराम पाहन पिता लोहार सिंह पाहन वो 2. नेकेया पाहन पिता स्व० चोनदा पाहन वो 3. उदय पाहन पिता श्री दरसर पाहन ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा ने श्रीमती मेरी सोय मुरुम पति एनेम सोय मुरुम ग्राम महुवाटोली, थाना खूँटी, जिला खूँटी, जाति मुण्डा के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>महुवाटोली</td> <td>85</td> <td>29</td> <td>303</td> <td>0.10</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 6668127 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 722 दिनांक 10.08.18 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम आसीन पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार आसीन पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 53.37 एकड़ है। आवेदक के पास रकबा 2.65 एकड़ तीन के हिस्सा में कुल रकबा 7.95 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 62557.00(बारसठ हजार पाँच सौ सन्तावन)रु० प्रति डिसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 2.55 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने आवेदक क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. सुखराम पाहन पिता लोहार सिंह पाहन वो 2. नेकेया पाहन पिता स्व० चोनदा पाहन वो 3. उदय पाहन पिता श्री दरसर पाहन को श्रीमती मेरी सोय मुरुम पति एनेम सोय मुरुम के साथ ग्राम महुवाटोली के खाता सं० 29 खेसरा संख्या 303 का रकबा 0.10 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 62557.00(बारसठ हजार पाँच सौ सन्तावन)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p>भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	महुवाटोली	85	29	303	0.10	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
महुवाटोली	85	29	303	0.10								